राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि / नरेगा / बजट घोषणा / 2010 / पार्ट–3 / 76177 जयपुर, दिनांक 7 SEP 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2016 एवं 02.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यालयों में नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा घोषित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी / मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्देश दिये गये है। विभिन्न जिलों द्वारा इस संबंध में समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा गया है, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

1. न्यूनतम मजदूरी की स्थिति में कार्मिकों को एक माह में 26 दिन की राशि ही देय होती है। किसी भी कार्मिक से माह के पूरे दिन अर्थात 30 दिवस काम नहीं लिया जा सकता है। श्रम नियमों के अन्तर्गत एक साप्ताहिक अवकाश आवश्यक है। इस कारण 26 दिवस की गणना से न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना में दिया गया मासिक पारिश्रमिक ही भुगतान योग्य है।

2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी संविदा कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा घोषित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रम के अनुसार पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

3. जिन कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेशानुसार व्यक्तिगत अनुबन्ध पर रखा गया है, ऐसे कार्मिक जिन्हें बिना किसी न्यायालय विवाद के न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक मिल रहा है। कार्मिकों को वार्षिक वृद्धि देने पर निर्धारित पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम है तो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जावेगा। पूर्व में दिये गये विभागीय निर्देशों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धियां मूल मानदेय पर ही देय होगी।

4. सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से केवल कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कार्मिक लिये जाने के विभाग द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे। ऐजेन्सी के माध्यम से कार्मिक निविदा द्वारा प्राप्त दरों पर लिये जाते है। वित्त विभाग द्वारा मेन विद मशीन के लिए अधिकतम देय राशि तय की गई है। अतः निविदा शर्तो अनुसार कार्यवाही जिला स्तर पर ही की जानी है। इस हेतु प्रत्येक आदेश की राज्य मुख्यालय से पुष्टि संभव नहीं है। वित्त विभाग एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. विभिन्न जिलों से यह भी मार्गदर्शन चाहा गया है कि श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक का कोई भी पद नहीं दर्शाया गया है तथा ग्राम रोजगार सहायक के पद को श्रम विभाग के आदेश के अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल किस श्रेणी में माना जावे। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय निर्देश दिनांक 04.04.2011 के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को कुशल श्रमिक मानते हुए उसका मानदेय 4030/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। उसी के अनुरूप निर्देशित किया जाता है कि यदि ग्राम रोजगार सहायक को प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि दिये जाने पर भी न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय मिल रहा है तो ग्राम रोजगार सहायक को कुशल श्रमिक मानते हुए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुरूप पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जावे ।

6. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय या प्रकरण की वस्तुस्थिति के अनुसार पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जाना है।

भवदीय

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी महात्मा गांधी नरेगा, बाडमेर।
3. श्री रिंकु छीपा को ई–मेल वास्ते।
4. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस